विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 411.61 करोड़ के वित्तीय निहितार्थों से अंतर्ग्रस्त (i) पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनाएं (ii) पर्यावरण स्वीकृति व स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण (iii) राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन व अनुरक्षण (iv) हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी तथा (v) समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम पर पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं और 13 परिच्छेद शामिल हैं।

2011-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 16,201 करोड़ से बढ़कर ₹ 25,630 करोड़ हो गया। जबकि 2011-12 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय ₹ 13,898 करोड़ से 60 *प्रतिशत* बढ़कर 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय 58 *प्रतिशत* बढ़कर 2011-16 की अवधि के दौरान ₹ 1,810 करोड़ से ₹ 2,864 करोड़ हो गया।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ महत्त्वपूर्ण परिणामों का सार निम्नवत् है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनाएं

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए राज्य में पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में कमजोर आयोजना, पशुधन उत्पादकता में सुधार हेतु लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि तथा परियोजना अवसंरचना के निष्पादन एवं पूर्णता में अनुचित विलम्ब पाया गया। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

- पशु पालन विभाग ने 2011-16 के दौरान पशुधन के अनुरक्षण/ सुधार हेतु योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन नीति का विस्तृत वर्णन करते हुए वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

- पशुओं में 50 *प्रतिशत* तथा भेड़ों में 75 *प्रतिशत* का विदेशी वंशागति स्तर प्राप्त करने के उद्देश्यों के प्रति विभाग पशुओं तथा भेड़ों में क्रमश: 46 तथा 38 *प्रतिशत* विदेशी वंशागति के स्तर को प्राप्त कर सका था।

(परिच्छेद 2.1.6.3)

- यद्यपि विभाग द्वारा 2011-16 के दौरान निर्धारित किए गए दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों को अन्ततोगत्वा प्राप्त कर लिया गया था फिर भी राज्य का औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन (11.68 लाख मीट्रिक टन) राष्ट्रीय औसत (13.38 लाख मीट्रिक टन) से 13 *प्रतिशत* कम था।

(परिच्छेद 2.1.6.5)

- 2011-16 के दौरान पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण/ पशुधन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवमुक्त ₹ 20.21 करोड़ की निधियां कार्यान्वयन अभिकरणों के पास 16 महीनों से दो वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

(परिच्छेद 2.1.10.2, 2.1.14.1, 2.1.15 तथा 2.1.16)

- 2011-15 के दौरान संस्वीकृत 108 संस्थागत भवनों (₹ 7.44 करोड़) का निर्माण तथा छः पशुधन विकास परियोजनाओं (₹ 8.95 करोड़) का संचालन नवम्बर 2016 तक अधूरा पड़ा था।

(परिच्छेद 2.1.10.1, 2.1.14.4, 2.1.14.5 तथा 2.1.17.2)

- 2011-16 के दौरान गायों में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उत्पन्न बछड़ों की सफलता दर 39 व 43 *प्रतिशत* के मध्य तथा भैंसों में यह 40 व 45 *प्रतिशत* के मध्य रही जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 50 *प्रतिशत* के प्रोटोकोल के न्यूनतम मानक से कम थी।

(परिच्छेद 2.1.14.3)

पर्यावरण स्वीकृति व स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण

राज्य के एक नाजुक पारिस्थितिक तंत्र सहित पर्यावरण संवेदनशील होने के बावजूद, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 तथा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने तथा स्वीकृति उपरांत अनुश्रवण के आकलन हेतु 2008-15 की अवधि से अंतर्ग्रस्त निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यावरण सम्बंधी सरोकारों की पहचान तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु प्रक्रियाएं तथा संस्थागत तंत्रों के साथ-साथ अनुश्रवण एवं शमन के उपायों का प्रवर्तन कमजोर था। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण/ राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जांच हेतु मानवशक्ति की कमी थी जिसके कारण अनुदान तथा पर्यावरण स्वीकृति के नवीनीकरण में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप कुछ परियोजनाएं पूर्वापेक्षित पर्यावरण स्वीकृति के बिना निरंतर प्रचालित हो रही थी। परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों सहित न तो राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने और न ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमित रूप से अनुपालना की तथा कुछ परियोजना उन्नायकों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदनों/ पर्यावरण स्वीकृति पत्रों में दी गई वचनबद्धता को पूर्ण नहीं किया था। परियोजना क्षेत्रों में हरित पट्टी के विकास सहित अपेक्षित पर्यावरण सुरक्षा प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र उपचार योजना तथा निर्माण कार्य से उत्पन्न मलवा के निपटान को परियोजना उन्नायकों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया यद्यपि इस उद्देश्य हेतु निधियां आवंटित, समर्पित या उपलब्ध थीं। कुछ महत्त्वपूर्ण परिणामों का सार निम्नवत् है:

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तकनीकी व वैज्ञानिक कर्मचारियों की 51 से 55 *प्रतिशत* तक कमी थी।

(परिच्छेद 2.2.6 (ii))

- नमूना परीक्षित 60 में से 19 मामलों में राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन आवेदन के मूल्यांकन में 14 दिनों से 2.9 वर्षों का विलम्ब था तथा 42 मामलों में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने में आठ दिनों से तीन वर्षों का विलम्ब था।

(परिच्छेद 2.2.7.1)

- सोलन जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए दोषपूर्ण आयोजना तथा संकल्पना के परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा 897 हरे वृक्षों के कटान से जैव विविधता में परिवर्तन आया। पार्क अभी भी स्थापित नहीं हुआ था।

(परिच्छेद 2.2.7.3)

- नमूना परीक्षित 20 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं के परियोजना उन्नायकों ने जन सुनवाई के दौरान की गई प्रदूषण शमन उपायों की प्रतिबद्धताओं की अनुपालना नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, नौ परियोजनाओं के सम्बंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रचालन की सहमति की वैधता मार्च 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य समाप्त हो गई थी परंतु उनका प्रचालन अगस्त 2016 तक लगातार हो रहा था।

(परिच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.8.2 (ii))

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषणकारी उद्योगों में निरंतर धुंआ उत्सर्जन तथा प्रवाह गुणवत्ता के लिए ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली स्थापित नहीं की थी। नमूना परीक्षित 20 में से 16 परियोजनाओं में परियोजना उन्नायकों ने वायु, ध्वनि व जल गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की क्योंकि न तो पर्यावरण स्वीकृति पत्र में संस्थापित की जाने वाली अनुश्रवण प्रणाली की संख्या का उल्लेख था और न ही परियोजना उन्नायकों द्वारा इन्हें प्रतिष्ठापित किया गया था।

(परिच्छेद 2.2.9.2 तथा 2.2.9.3)

- परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टी के विकास को सात चयनित परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदनों/ पर्यावरण स्वीकृति पत्रों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था तथा तीन चयनित परियोजनाओं में प्रतिपूरक वनीकरण/ जलागम क्षेत्र समुपचार योजना संचालित/ क्रियान्वित नहीं की गई थी यद्यपि वन विभाग के पास ₹ 18.77 करोड़ जमा किए गए थे।

(परिच्छेद 2.2.10.1 से 2.2.10.3)

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन व अनुरक्षण

राज्य लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन व अनुरक्षण सम्बंधी कार्यों की आयोजना व निष्पादन को निर्धारित करने की दृष्टि से 2011-16 की अवधि से अंतर्ग्रस्त की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में स्पष्ट लक्ष्यों वाली व्यवस्थित वार्षिक योजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु समय सीमा व अनुरक्षण में कमी तथा उन्नयन, मरम्मत और अनुरक्षण हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी उजागर हुई। वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि विभाग भारत सरकार से प्राप्त आवंटनों की अनुकूलतम प्रयुक्ति में विफल रहा तथा विभागीय व्यय व लोक निर्माण निक्षेपों में अनियमित अपवर्तन, अनुरक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न होने और भारत सरकार द्वारा अभिकरण प्रभारों की अवमुक्ति न होने के प्रकरण थे। कार्यों का निष्पादन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने/ अंतिम रूप देने में विलम्ब, सम्बद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ करने में कमी, समयोजित वांछित अनुमति लेने में विफलता तथा निष्फल व्यय और लागत वृद्धि आदि से ग्रस्त था। गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों और निरीक्षणों के सम्बंध में शर्तों का प्रभावशाली अनुश्रवण और अनुपालना सुनिश्चित करने में विफलता और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाताओं के न लगाए जाने से त्रुटियों में सुधार करने की कार्रवाई और किये गए कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया गया। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सार निम्नवत् है:

- 2011-16 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में 40 *प्रतिशत* की कमी थी।

(परिच्छेद 2.3.5.4)

- 2011-15 के दौरान मूल निर्माण कार्यों के लिए ₹ 759.91 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष विभाग मात्र ₹ 590.71 करोड़ ही प्रयुक्त कर पाया परिणामत: ₹ 169.20 करोड़ की अल्प-प्रयुक्ति हुई।

(परिच्छेद 2.3.6.2)

- विभाग ने, नियमों के तहत केन्द्रीय पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित करने के बजाय दूरसंचार कम्पनियों द्वारा क्षतियों के पुनर्स्थापन हेतु जमा निधियों से ₹ 1.20 करोड़ वाहनों के क्रयार्थ अपवर्तित कर दिये तथा ₹ 117.20 करोड़ निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अनियमित रूप से रोक दिए। 1,316.655 किलोमीटर के राजमार्गों की क्षतियों का मार्च 2016 तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ था।

(परिच्छेद 2.3.6.3)

- मार्च 2016 तक पूर्णता हेतु निर्धारित ₹ 985.79 करोड़ की संस्वीकृति लागत के 119 निर्माण कार्यों के सापेक्ष मार्च 2016 तक ₹ 114.23 करोड़ के व्यय वाले 39 निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े थे।

(परिच्छेद 2.3.7.1)

- जुलाई 2011 तक पूर्णता हेतु छः राष्ट्रीय राजमार्गों के 'टू लेन' में उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नियत ₹ 12.52 करोड़ में परामर्शदाताओं को प्रदत्त (मई-अगस्त 2010) छः कार्य जून 2016 तक ₹ 7.50 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अपूर्ण पड़े थे।

(परिच्छेद 2.3.7.2)

- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि अधिशासी अभियंताओं ने निर्माण कार्यों के अपेक्षित गुणवत्ता परीक्षण/ निरीक्षण नहीं किए थे और वर्ष 2011-16 के दौरान 111 में से 74 निरीक्षणों में राज्य गुणवत्ता नियंत्रण संभाग द्वारा सूचित कमियों के सुधारार्थ कोई कार्रवाई करने में भी असमर्थ रहे।

(परिच्छेद 2.3.10.1 तथा 2.3.10.2)

हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी

2011-16 की अवधि के लिए राजस्व विभाग में भूकंप एवं आगजनी पर विशिष्ट रूप से आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा असुरक्षा की भावना को कम करने, आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण तथा प्रतिक्रिया सम्बंधी राज्य द्वारा की गयी तैयारी को जानने के लिए, की गयी थी। संवीक्षा ने आपदाओं पर तुरंत एवं प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु राज्य की मशीनरी की क्षमता को जिसने कमजोर किया, उन संस्थागत ढांचों की कार्यविधि और प्रक्रियाओं में कमियों के साथ-साथ अपर्याप्त आपदा तैयारी को उजागर किया। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैं:

- राज्य आपदा प्रबंधन योजना/ जिला आपदा प्रबंधन योजना का वार्षिक अद्यतनीकरण जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अपेक्षित था, नहीं किया गया था। राज्य के 41 मुख्य विभागों में से, 28 विभागों ने जून 2016 तक आपदा प्रबंधन योजनाएं नहीं बनाई थी।

(परिच्छेद 2.4.6.1)

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में से ₹ 18.96 करोड़ की राशि उन कार्यों के लिए अपवर्तित की गयी जो प्राकृतिक आपदा से सम्बंधित नहीं थे।

(परिच्छेद 2.4.7.3 (क))

- आपातकालीन प्रचालन केन्द्र अभी भी अनिवार्य सम्प्रेषण प्रणालियों से पूर्णतया सुसज्जित किये जाने थे और प्रत्येक जिले में गांव आपदा प्रबंधन समितियां स्थापित नहीं की गयी थी। चिकित्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्षमता निर्माण/ आपदा सम्बन्धी तैयारियों पर प्रशिक्षण जून 2016 तक नहीं दिया गया था।

(परिच्छेद 2.4.8.1, 2.4.9.2 तथा 2.4.9.3 (i))

- लाइफलाइन भवनों की, जो भूकंपीय क्रियाकलाप को रोक सके, पुन:सयोजन (रेट्रोफिटिंग) के लिए पहचान नहीं की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी भवनों/ घरों का निर्माण जून 2016 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था। इंजीनियरों, बिल्डरों तथा कारीगरों को भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित भवनों का निर्माण करने सम्बन्धी पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था।

(परिच्छेद 2.4.10.1, 2.4.10.2 तथा 2.4.10.3)

- 45 डिग्री की अनुज्ञेय सीमा से ऊपर ढलान पर भवनों के निर्माण के अनुवर्तन सम्बन्धी तकनीकी-कानूनी व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी थी। अनाधिकृत/ बेतरतीब निर्माणों के मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। लाइफलाइन भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा भी जुलाई 2016 तक नहीं की गयी थी।

(परिच्छेद 2.4.10.4 तथा 2.4.10.5)

- राज्य में 3,243 ग्राम पंचायतें थी। तथापि, मात्र 24 ग्राम पंचायतों में ही अग्निशमन चौकियां स्थापित की गयी थी। केवल 71 *प्रतिशत* अग्निशमन वाहन अच्छी स्थिति में थे।

(परिच्छेद 2.4.11.3 तथा 2.4.11.4)

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम

भूमि, वनस्पतीय आवरण एवं जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, संरक्षण तथा विकासोन्मुख द्वारा पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने तथा वाटरशैड क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पोषणीय आजिविका प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) को अप्रैल 2008 में आरम्भ किया गया था। 2011-16 के दौरान संचालित कार्यक्रम क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने दोषपूर्ण आयोजना और निधियों के प्रयोग की धीमी गति उजागर की क्योंकि सापेक्ष योजना एवं वार्षिक कार्य योजना क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के सहयोग के बिना बनाई गई थी परिणामत: समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम की परियोजनाओं का परस्परव्यापन (ओवरलैपिंग) उन योजनाओं के साथ हुआ जो अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई थी जिसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी नहीं किया गया। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिये जाने तथा लागत मानकों की पालना न किये जाने से भी विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय आधिक्य हुआ। भू-जल स्तरों में वृद्धि, फसलों का उत्पादन, मरूस्थलीकरण में कमी, सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा बंजर/ बेकार भूमि के सम्बन्ध में कार्यक्रम के प्रभाव का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

- सापेक्ष योजना को राज्य स्तर पर, खण्ड एवं जिला स्तर पर वाटरशैड विकास योजनाओं को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया था (जनवरी 2009)। 2009-16 के दौरान अपेक्षित 5.91 लाख हेक्टेयर भूमि को विकसित किये जाने के प्रति मार्च 2016 तक केवल 0.86 लाख हेक्टेयर (15 *प्रतिशत*) भूमि को विकसित किया गया था।

(परिच्छेद 2.5.6.1 तथा 2.5.8.2)

- 2011-16 के दौरान राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण के पास 38 से 87 *प्रतिशत* निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। समेकित वाटरशैड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2013-14 के दौरान अपेक्षित 60 *प्रतिशत* निधियां खर्च न करने के कारण भारत सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान निधियां जारी नहीं की गई।

(परिच्छेद 2.5.7.1)

- जिला वाटरशैड विकास अभिकरण, चम्बा, शिमला तथा सोलन और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर ने 2011-16 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत भूमि विकास पर ₹ 88.21 करोड़ व्यय किए थे परन्तु वास्तव में विकसित/ उपचारित क्षेत्र के साक्ष्य अभिलेख में नहीं रखे थे।

(परिच्छेद 2.5.8.3)

- वाटरशैड लागत मानकों का पालन न करने के कारण, सात परियोजनाओं में क्रियान्वयन अभिकरणों ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 7.59 करोड़ का व्यय अनुमत्य सीमा से अधिक किया।

(परिच्छेद 2.5.10.5)

- सोलन जिला में, ₹ 8.06 करोड़ की लागत से विकास हेतु लक्षित 5,579 हेक्टयेर भूमि का परस्परव्यापन वन विभाग द्वारा निष्पादित अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे क्षेत्र से किया गया।

(परिच्छेद 2.5.10.6)

- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि कार्यों का निरीक्षण, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण की बैठकें तथा कार्यक्रम के विश्लेषण प्रभाव का संचालन, वांछित स्तर तक नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.5.12)

अनुपालना लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश में वन भूमि का अतिक्रमण

2013-16 की अवधि के दौरान वन भूमि अतिक्रमण से सम्बंधित अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि विभाग, भारतीय वन अधिनियम, 1971 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रवर्तन सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक राज्य में 43,086 मामलों से अंतर्ग्रस्त 9,545 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण हुआ। सीमांकन हेतु लक्षित 20.63 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रति, 28 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिसमें अतिक्रमण करने के अवसर प्राप्त हुए, 11.04 लाख हेक्टेयर (54 *प्रतिशत*) का सीमांकन नहीं किया गया था। मार्च 2016 तक राजस्व तथा वन न्यायालयों में 3,572 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के कुल 15,409 मामले लंबित थे। खाली किए गए वन क्षेत्रों की घेराबंदी का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका था और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप घेराबंदी की लागत के प्रति ₹ 46.76 लाख अतिक्रमणकारियों से वसूल नहीं किए गए थे। विभाग ने स्थिति से निपटने हेतु की जा रही कार्रवाई को इंगित किए बिना बहुत सी कमियों का कारण फील्ड एवं राजस्व स्टाफ की कमी बताया था।

(परिच्छेद 3.2)

छात्रवृत्तियों के संवितरण में अनियमिताएं

उच्च शिक्षा विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को ₹ 9.59 करोड़ की छात्रवृत्तियों का अनियमित संवितरण हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

कारागारों में सुधार, पुनरुद्धार तथा अन्य सुविधाएं

कारागार विभाग ने बहुसंख्यक कैदियों को शिक्षा एवं पुनरूद्धार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए थे, इस प्रकार कैदियों को उनकी मुक्ति पर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कौशल एवं पात्रता के माध्यम से कैदियों के सुधार एवं पुनरूद्धार का मुख्य उद्देश्य विफल हुआ। 2013-16 के दौरान नमूना-जांच किये गए कारागारों में 1,116 कैदियों में से मात्र 69 कैदियों ने शैक्षणिक पात्रता प्राप्त की थी और मुक्त किए गए 786 कैदियों में से केवल 50 कैदियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था। मॉडल कारागार नियमावली में परिकल्पित संस्थागत अवसंरचनाओं तथा प्रक्रियाओं की स्थापना नहीं की गई थी जिससे निर्णय क्षमता और राज्य के कारागारों में अपेक्षित सुविधाओं एवं अवसंरचना के प्रावधान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कारागारों में रिसेप्शन केन्द्रों के विद्यमान न होने से तपेदिक, दाद-खाज, हृदय रोग तथा गुर्दे की समस्या सहित विभिन्न रोगों से ग्रस्त बहुसंख्यक कैदियों को अलग नहीं किया गया और उनको बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखा गया, जिससे अन्य कैदी भी संभावित संक्रामक रोगों से ग्रस्त पाए गए। नमूना-जांच किए गए कारागारों में 809 में से विभिन्न रोगों से ग्रस्त 456 नये कैदी बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखे गए थे। चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थीं और मानव उपयोग हेतु आपूरित जल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जांच नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.5)

खनिजों के निष्कर्षण पर रॉयल्टी तथा ब्याज की वसूली न करना

उद्योग विभाग, एक फर्म से खनिजों के निष्कर्षण हेतु ₹ 22.72 करोड़ की रॉयल्टी तथा ₹ 4.39 करोड़ के ब्याज की वसूली में विफल रहा।

(परिच्छेद 3.6)

जल प्रभारों का निर्धारण तथा संग्रहण

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सभी उपभोक्ताओं, दोनों घरेलू और वाणिज्यिक से जल प्रभारों की वसूली नहीं कर पाया था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व बकाया में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रभावशाली रूप से राज्य सरकार की जून 2005 की अधिसूचना में परिकल्पित गैर-मीटरीकृत वाणिज्यिक कनैक्शनों के जल प्रभारों के संशोधित न किये जाने के कारण और उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों के स्थापित न किये जाने के कारण संभावित राजस्व की बड़ी हानि उठाई।

(परिच्छेद 3.7)

नलकूपों की ड्रीलिंग के लिए रिग्ज़ के प्रापण पर निष्फल व्यय

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिप्रेत क्षेत्रों में जहां उन्हें नियोजित किया जाना था स्थलाकृति एवं मृदा/ चट्टान रूपरेखा के संदर्भ में रिग्ज़ की विशिष्टताओं के पर्याप्त तकनीकी निर्धारण में कमी के परिणामस्वरूप रिग्ज़ का उपार्जन किया गया, जो उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने फर्म द्वारा वारंटी अवधि से सम्बंधित आपूर्ति आदेश की शर्तों की अनुपालना में प्रशिक्षित कर्मिकों के प्रशिक्षण एवं तैनाती को लागू नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.24 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा फर्म से ₹ 19.82 लाख की सामग्री लागत की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.8)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों की अनियमित संस्वीकृति एवं अवमुक्ति

स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का गैर-अनुपालन व वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता की सीमा के सत्यापित करने में किसी भी तंत्र के अभाव होने के परिणामस्वरूप एक समिति को ₹ 1.97 करोड़ की अधिक

वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या द्वारा आवासित क्षेत्रों के लिए दी गई ₹ 2.50 करोड़ की निधियां अन्य क्षेत्रों को अवमुक्त की गई थी।

(परिच्छेद 3.10)

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बेकार पड़े सर्वेक्षण उपकरणों पर अनुत्पादक व्यय

संविदाकार द्वारा संविदागत बाध्यताओं का देय निष्पादन लागू करने में और संविदा शास्तियां लगाने में राजस्व विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप बेकार उपकरण पर ₹ 1.91 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ तथा ₹ 1.68 करोड़ अवरूद्ध रहे।

(परिच्छेद 3.12)

बाधारहित स्थलों की पहचान/ उपलब्धता नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों का निष्पादन न होना/ पूर्ण न होना

हिमाचल प्रदेश कोषालय नियमावली एवं केन्द्रीय लोक निर्माण नियमपुस्तिका में की गई परिकल्पना के विपरीत बिना सम्भाव्यता और बाधारहित भूमि सुनिश्चित किये बिना सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण तथ युवा सेवाएं व खेल विभागों द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के आहरण एवं अवमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ और कार्यकारी अभिकरणों के पास एक से नौ वर्षों से अधिक के लिए ₹ 12.14 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 3.13)